

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2096/2026

Vishal Rana Alias Vishu S/o Surendra Singh, Aged About 32 Years, R/o Village Masvi Post Thana Bhavan District Samli At Present Santosh Vihar Colony Nanota Saranpur U P. (At Present Lodged In Central Jail Sri Ganganagar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Jitendra Ojha
For Respondent(s)	: Mr. Prem Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— सदर गंगानगर, जिला— गंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 555/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66(सी), 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 318(4), 338, 336(2), 336(3), 336(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66(सी), 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में यह आक्षेप है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने संबंधित परिवादी यूनिवर्सिटी का आईपी अड्रेस अन्य सहअभियुक्त सरबजीत सिंह को उपलब्ध कराया और अन्य सहअभियुक्त सरबजीत सिंह द्वारा उक्त आईपी अड्रेस में परिवर्तन कर परिवादी यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी एडमिशन करते हुए डिग्रियां जारी की गई हैं। इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस प्रकार की कोई फर्जी अंकतालिका इत्यादि नहीं

बनाई गई हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में मुख्य अभियुक्त सरबजीत सिंह है और उसके द्वारा ही फर्जी आईपी अट्रैस बनाने के उपरांत धोखाधड़ी कारित की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में किसी प्रकार का कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने मुख्य अभियुक्त सरबजीत सिंह को परिवादी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर उपलब्ध कराई है और उसके उपरांत मुख्य अभियुक्त सरबजीत सिंह द्वारा उक्त यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी डोमेन रजिस्टर्ड कराकर अज्ञात व्यक्तियों के प्रवेश लेकर प्रमाणपत्र, एडमिशन कार्ड, रिजल्ट इत्यादि जारी किए हैं। इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में अन्य सहअभियुक्त सरबजीत सिंह के खाते से राशि का परस्पर लेन-देन होना पाया गया है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त अपराध में स्पष्ट संबद्धता दर्शित होती है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुणों पर इस प्रक्रम पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **विशाल राणा उर्फ विशु पुत्र सुरेन्द्रसिंह** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया

जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J